न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 90/2019

1– रामेश्वरलाल पुत्र मांगुराम जाति जाट निवासी नावां तहसील नावां जिला नागौर राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार नावां, तहसील नांवा जिला नागौर, राज0।

2–पटवारी हल्का खारड़िया, तहसील नावां जिला नागौर राज0।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी,व श्री गोविन्द कड़वा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 बअनुवान सरकार बनाम प्रेमप्रकाश प्रकरण संख्या 05/2019 न्यायालय तहसीलदार नांवा निर्णय दिनांक 02.07.2019

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक : 05.03.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नांवा के प्रकरण सं0 05/2019 बअनुवान पटवारी हल्का खारड़िया बनाम रामेश्वरला में पारित निर्णय दिनांक 02.07.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खारड़िया ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नांवा को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर 207 रकबा 544 वर्गमीटर किस्म गैम0मु0 रास्ते पर डोल बनाकर अतिक्रमण करने पर

अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा खारड़िया के खसरा नम्बर 207 रकबा 544 वर्गमीटर किस्म गै0 मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रैणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा खारड़िया के खसरा नम्बर 207 रकबा 544 वर्गमीटर गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया. एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 15/– अक्षरे पन्द्रह रूपये कायम किया गया। पटवारी हल्का को अप्रार्थी के उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने व शास्ती वसुली हेतु आदेश दिये गए।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 18.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 28.08.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2018/386 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय का प्राप्त हुई।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है कि तहसीलदार नांवा द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा जिस भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है एवं जिस पर तहसीलदार नांवा द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं जबकी अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हैं।

{3}(5) – यह है कि मौके पर किसी प्रकार का कोइ रास्ता मौजुद नहीं है। मौके पर अन्य स्थान पर रास्ता है यदि उक्त कटाणी रास्ता का सीमाज्ञान कर सम्पूर्ण रास्ते को खुलवाया जाता है तभी सम्पूर्ण काश्तकारो को राहत मिलती है। केवल मात्र अपीलान्ट के खेत में रास्ता खोल देने से उक्त रास्ता चालू नहीं हो सकता। उक्त रास्ता राधामोहन वगैरा ने भी बन्द कर रखा है। उनके द्वारा रास्ता खोलने पर ही उक्त रास्ता चालू स्थिति में आ सकता है इसके अलावा उक्त रास्ता चालू होने का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा कोई कटाणी रास्ता बन्द नहीं किया हुआ है।

{3}(6) – यह है कि उक्त पत्रावली में पटवारी के कोई बयान नहीं लिये गये है। ना ही अपीलान्ट को जवाब का समुचित अवसर दिया गया जवाब हेतु अवसर चाहा गया, जिस पर ना ही जवाब बन्द किया गया ना ही जवाब लिया गया । निर्णय के दिन अधिवक्ता अपीलान्ट को भी नहीं सुना गया तथा अपीलान्ट को भी अनुपस्थित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

करते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया गया एवं अपीलान्ट को दस्तावेज पेश करने का भी समय नहीं दिया गया जो कि न्याय की मंशा के विरूद्ध है। जिससे आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(7) – यह है कि अपीलान्ट का रास्ता की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।, इससे पूर्व अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का नाप चौंक करवाया जाना आवश्यक हैं एवं उसके पश्चात ही अतिक्रमी माना जा सकता है ।

{4} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी खारड़िया की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक मिठड़ी द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम खारड़िया, के खसरा नम्बर 207 रकबा 544 वर्गमीटर किस्म गै0 मु0 रास्ता पर डोल़ लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी दिनांक 18.6.2019 को स्वमं मय अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुवे, तथा जवाब हेतु समय चाहा, दिनांक 02.7.2019 को जवाब नहीं दिया तथा अनुपस्थित पाये गये। उक्त प्रकरण कटटाणी रास्ते पर अतिक्रमण से सम्बन्धित है, जो राजकीय भूमि है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि में आती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित प्रतित होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

## :::: आदेश ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील पर खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.07.2019 का यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)